Toppersnotes
Unleash the topper in you

CGPSC

State Civil Services

Chhattisgarh Public Service Commission

(Preliminary & Main)

भाग – 3

संविधान एवं लोक प्रशासन

SIERRA INNOVATIONS

CGPSC

CONTENTS

संविधान

1.	परिचय	1
2.	संविधान	3
3.	संसदीय शासन प्रणाली	6
4.	संघीय व्यवस्था	11
5.	उद्देशिका	18
6.	संघ व राज्य	24
7.	नागरिकता	29
8.	मूल अधिकार	33
9.	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	50
10.	मूल कर्त्तव्य	56
11.	संविधान संशोधन	60
12.	शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत	63
13.	संघ	
	• राष्ट्रपति	65
	• उपराष्ट्रपति	79
	• मंत्रिपरिषद	80
	• मंत्रिमंडल	81
	• प्रधानमंत्री	83
	• महान्यायवादी	86
14.	संसद	87
15.	राज्य	107
16.	भारतीय न्यायिक व्यवस्था	
	• न्यायपालिका	120
	• उच्च न्यायालय	124

- अधीनस्थ/जिला न्यायालय 126
- जनहित याचिका 128

17. स्थानीय सरकार 136
18. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 146
19. संघ राज्य संबंध 151
20. वित्त आयोग 157
21. लोक सेवाएं 159
22. निर्वाचन आयोग 162
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 171
24. संविधान का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य 173
25. संविधान निर्माण 176
26. सांविधिक संस्थाएं 178
27. केन्द्रीय सतर्कता आयोग 180
28. केन्द्रीय सूचना आयोग 181
29. लोकपाल एवं लोकायुक्त 182
30. भारत में अधिकरण 185
31. अधिकार व मुद्दे 188
32. लोकनीति 191
33. विभिन्न देशों के संविधान से तुलना 193

लोक प्रशासन

1. सार्वजनिक प्रशासन परिचय 196
2. लोक प्रशासन की प्रकृति 211
3. नौकरशाही 229
4. सार्वजनिक और निजी प्रशासन 236
5. संगठन 238
6. प्रबंधन के कार्य 241
7. प्रशासन सुधार 256
8. ई–गवर्नेंस 262
9. सुशासन 265

परिचय

संवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं ।

असंवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं हैं और संविधान के विपरीत हैं।
– ये अमान्य होते हैं ।
– प्रचलन में नहीं होते हैं ।

गैर संवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं हैं, किन्तु संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं ।
– ये मान्य होते हैं ।
– ये प्रचलन में होते हैं ।
– ये समय-समय पर उपयोग होते रहते हैं ।

संवैधानिक प्रावधान :– वे प्रावधान, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए ।

कार्यकारी प्रावधान :– वे प्रावधान जो सरकार के आदेश/मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो ।

कुछ संकल्पनायें

राज्य (State) : भौगोलिक क्षेत्र
निश्चित भू-भाग
जनसंख्या
सरकार
संप्रभुता (सर्वोच्च शक्ति) (बाह्य विहीन)

देश/राष्ट्र :– राज्य + निष्ठा

भारत एक राज्य है – संकल्पना
भारत एक राष्ट्र है – व्यावहारिक रूप में

सरकार :–राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था

राज्य का स्वरूप

पुलिस राज्य	कल्याणकारी राज्य (**Welfare State**)
अभिजात्य वर्ग/ शासक के हितों के लिए कार्य करना	शासितों (लोग/जनता) के हितों के लिए कार्य करना
उदाहरण : स्वतंत्रता से पूर्व भारत	उदाहरण : स्वतंत्रता के बाद भारत

सरकार लोगों के हितों के लिये कार्य कैसे करती है ?

सरकार के कार्य — संस्था

शक्तियाँ
- कानून बनाती – विधायिका
- कानून लाए – कार्यपालिका — 3 अंग
- न्याय प्रदान करना– न्यायपालिका

नीति लागू/नीति बनाना– शासन Act/Activity

सरकार संस्कृति अर्थ

सरकार के अंग (व्यापक रूप में) समूह
- विधायिका
- कार्यपालिका
  - राजनीतिक कार्यपालिका — उदाहरण मंत्रिपरिषद
  - प्रशासनिक कार्यपालिका — उदाहरण सिविल सेवकों का
- न्यायपालिका

नौकरशाही (Bureacracy)
- चयनित
- निश्चित योग्यता
- निश्चित कार्यकाल

प्रशासन → नीतियों को लागू करना

शासन :– सरकार जो कुछ करती है तथा जिस विधि/रीति से करती है, उसे शासन कहते हैं । इसके अन्तर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करवाना सम्मिलित किया जाता है ।

प्रशासन :– यह सरकार का कार्यकारी अंग है, सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों निर्णयों आदि को लागू करना, प्रशासन कहलाता है ।

राजव्यवस्था, संविधान, शासन
- सरकार का अध्ययन → निर्माण, कार्य आदि
- सरकार की क्रियाविधि (कार्यप्रणाली)

राज्य व्यवस्था :– राज्य के निर्माण आदि का अध्ययन

राजनीति (Politics) :– राज्य के लिए निर्मित की जाने वाली नीति

राजनेता :– राजनीति का व्यवहार करने वाले

राजनीतिज्ञ :– राजनीति का विशेष ज्ञान रखने वाले

संविधान

संविधान किसी देश की सर्वोच्च व मूलभूत विधि है जो सरकारों के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करती है ।

संविधान के प्रकार :-

1. लिखित – दस्तावेज के रूप में संविधान विद्यमान हो ।
   उदाहरण : भारत, U.S.A. आदि

2. अलिखित – दस्तावेज के रूप में संविधान न हो।
   उदाहरण : ब्रिटेन

भारत का संविधान			
	भाग	अनुच्छेद	अनुसूची
मूल भाग संविधान	22	395	8
वर्तमान संविधान	25	460 से अधिक	12

अनुसूचियाँ	
अनुसूची	विषय
पहली अनुसूची	राज्य एवं संघ + राज्य क्षेत्र के नाम
दूसरी अनुसूची	विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि
तीसरी अनुसूची	शपथ के प्रारूप
चौथी अनुसूची	राज्य सभा में स्थानों का आवंटन (बँटवारा)
पाँचवीं अनुसूची	असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को छोडकर अन्य राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
छठी अनुसूची	असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
सातवीं अनुसूची	संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण कानून बनान की शक्ति • संघ सूची – संसद • राज्य सूची – राज्य विधान मंडल • समवर्ती सूची – दोनों
आठवीं अनुसूची	भाषाएँ मूल संविधान – 14 वर्तमान संविधान – 22
नौवीं अनुसूची	(Ist संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोडा गया) – कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण
दसवीं अनुसूची	(52th संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोडा गया) – दल – बदल विरोध प्रावधान

ग्यारहवीं अनुसूची	(73rd संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोडी गयी) पंचायतों के अधिकार शक्तियाँ व उत्तरदायित्व – 29 विषय
बारहवीं अनुसूची	(74th संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोडी गई) नगरपालिकाओं के अधिकार शक्तियों व उत्तरदायित्व – 18 विषय

संविधान की विशेषताएँ:-

भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान – आइवर जेनिंग्स

(i) ब्रिटिश विधि शास्त्री आइवर जेनिग्स ने भारतीय संविधान को विश्व के विशालतम संविधान की संज्ञा दी है भारत के संविधान के विशालता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है–
भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है एवं सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से विविधता युक्त है अतः इस विशालता व विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के समाधान के लिये संविधान में अनेक प्रावधानों का समावेश करना पडता है । जैसे – संघ, राज्य दोनों के विषय में प्रावधान, अनुसूचित व जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रधान, आदि ।

(ii) भारतीय संविधान पर ऐतिहासिक विरासत की स्पष्ट छाप है । संविधान का लगभग 2/3 भाग नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार 1935 अधिनियम पर आधारित है । ये दस्तावेज स्वयं बडे दस्तावेज थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ शामिल की यह ब्रिटिश काल का सबसे बडा कानून था ।

(iii) भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किये गये है । लगभग 1 दर्जन देशों के संविधानों के अच्छाइयों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ।

(iv) भारत एक संघीय राज्य है । संघीय राज्यों में संघ व राज्यों के संविधान अलग होते है जबकि भारत में संघ व राज्यों के लिये एक ही संविधान निर्मित किया गया है ।

(v) भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है जो सामान्यतः संविधान की विषय वस्तु नहीं होती है और अन्य देशों में उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया है । जैसे– लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान आदि ।

आलोचना :– जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुऐ इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है उन्होंने संविधान की यह आलोचना निम्नलिखित दो आधारों पर की है

(i) भारतीय संविधान विशाल होने के कारण अनेक विवादों को संविधान के दायरे में रह कर उत्पन्न होने का अवसर देता है जिसका समाधान न्यायालय द्वारा वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क व दलिलों के आधार पर किया जाता है ।

(ii) जेनिंग्स ने संविधान की भाषा शैली को संविधान का दुर्गुण बताया है । संविधान की जटिल भाषा शैली सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है और अनेक अवसरों पर यह एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ या व्याख्या उत्पन्न करती है । संविधान की सही व्याख्या का निर्णय अन्ततः न्यायालय करता है किन्तु न्यायालय वकीलों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसा निर्णय करता है ।

भारत का संविधान एक गृहित संविधान है :- संविधान का लगभग दो तिहाई भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है । इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण किया गया है ।
इस प्रकार भारतीय संविधान मौलिक रचना नहीं है बल्कि व्यावहारिक रचना है अर्थात् यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के स्वतंत्र चिन्तन की उपज नहीं है बल्कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों का अध्ययन इस मूल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान सरकारों के संचालन में कितनी सुविधायें और असुविधायें उत्पन्न करते है । जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया, उन्हें संविधान में शामिल किया किन्तु भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को उसी रूप में अपनाया नहीं गया है बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित कर प्रासंगिक बनाया गया है और संविधान में सम्मिलित किया गया है ।

उदाहरणार्थ :- नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैण्ड से लिया गया है किन्तु भारतीय संविधान में शामिल किये गये ये तत्व आयरलैण्ड की संविधान की तुलना में अत्यन्त व्यापक है ।

नम्यता व अनम्यता का मिश्रण :- नम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन करना अत्यन्त सरल हो । जैसे - ब्रिटेन का संविधान ।

अनम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संविधान संशोधन करना जटिल हो । जैसे - अमेरिका का संविधान ।

भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और न ही अमेरिका की संविधान की भाँति कठोर है, बल्कि संविधान संशोधन के सन्दर्भ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है । भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दो तरीके से संशोधन किया जा सकता है -

विशेष बहुमत द्वारा - विशेष बहुमत कम से आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा

इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत के द्वारा भी संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है किन्तु यह इतना लचीला तरीका है कि संविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देते ।

संविधान में संशोधन की इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिये पंडित नेहरू ने संविधान सभा में तर्क दिया कि हम भारतीय संविधान को गतिशील बनाना चाहते है, जिससे भविष्य में कार्य करने वाली सरकारें आवश्यक्तानुसार संविधान में संशोधन कर सकें और संविधान सरकारों के सुविधाजनक संचालन में सहायक हो सके । इस प्रकार संविधान संशोधन का व्यापक अवसर मिलना चाहिये किन्तु संविधान संशोधन के अवसर उपलब्ध कराते समय यही भी ध्यान रखना होगा कि सरकारें संविधान संशोधन का दुरूपयोग कर संविधान में मनमाने संशोधन न कर सके। यही कारण है कि इन दोनों विरोधाभाषी दृष्टिकोणों के मध्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनायी गयी है और माध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुये इसे सभ्यता और असभ्यता का मिश्रण बनाया गया है ।

संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)

शासन
- एक व्यक्ति का शासन – एकतंत्र (Monocracy)
- सभी व्यक्तियों का शासन – लोकतंत्र (Domocracy)
  - आचरण एवं व्यवहार पर आधारित
    - प्रत्यक्ष (Direct) – लोगों की सीधे भागीदारी
    - अप्रत्यक्ष (Indirect)

↓

प्रतिनिधि

Represertative

- संसदीय शासन प्रणाली
  - जनक– ब्रिटेन
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
  - जनक –USA

लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन । इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की भागीदारी पर आधारित है । यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है । यह लोक सम्प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है । जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है कि ''लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा''।

जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में सम्भव नहीं है । अतः, लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित है जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी बनाती है ।

नोट :– प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन
- पहल (Initiative)
- पुनर्वापसी (Recall)
- जनमत संग्रह (Referendum)
- जनमत संग्रह (Plobisite)

पहल :– इसके अन्तर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर विधायिका के पास भेज सकती है । जनता की इस शक्ति को पहल कहते है ।

पुनर्वापसी (Recall) :–कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापसी कहलाता है और अब व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर भेज दिया जाता है ।

जनमत संग्रह (Referendum) :–किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिये जब लोगों से राय एकत्र की जाये, तो यह जनमत संग्रह कहलाता है । लोगों की राय ही यहाँ समाधान होती है ।

जनमत संग्रह (Plobisite) :– किसी विषय पर लोगों की सोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की राय एकत्र की जाये तब इसे Plobisite कहा जाता है।

	संसदीय शासन प्रणाली **(Parliamentary System)**	अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली **(Presidential System)**
1.	शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित	शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित
2.	शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत	नहीं
3.	नहीं	अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत
4.	दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive) 1. राज्य का अध्यक्ष • भारत – राष्ट्रपति • ब्रिटेन – ताज 2. सरकार का अध्यक्ष • प्रधानमंत्री	एकल कार्यपालिका–राष्ट्रपति (राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष)
5.	राज्याध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद	नहीं
6.	मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता/शर्तों पर आधारित	नहीं
7.	नहीं	मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के किचेंन कैबिनेट का सदस्य होना आवश्यक
8.	मंत्रियों का उत्तरदायित्व – दोहरा उत्तरदायित्व 1. राज्याध्यक्ष के प्रति • भारत – राष्ट्रपति के प्रति • ब्रिटेन – ताज के प्रति 2. निम्न सदन के प्रति • लोक सभा के प्रति	एकल उत्तरदायित्व – मात्र राष्ट्रपति के प्रति
9.	सरकार का कार्यकाल – अस्थिर	सरकार का कार्यकाल – स्थिर

	गुण	
1.	अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली	सरकार का स्थिर कार्यकाल
2.	शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग अतः, टकराव की संभावना क्षीण	प्रभावी निर्णय शक्ति
3.	शक्तियों के निरंकुश होने का खतरा नहीं/कम	राजनैतिक दोष कम

4.		दल – बदल का कोई स्थान नहीं होता
दोष		
1.	सरकार का कार्यकाल अस्थिर (अनिश्चित)	अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी प्रणाली
2.	राजनैतिक दोष के जन्म के अवसर होते है ।	शक्तियों के मध्य टकराव की सम्भावना
3.	दल बदल का क्षेत्र	निरंकुशता की सम्भावना
4.	सरकार के पास प्रभावी संदर्भ– क्षमता के अवसर कम	

भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाये जाने के कारण :–

1. भारतीयों को किसी प्रणाली में सरकार चलाने का अनुभव नहीं था किन्तु ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित की गयी संरचना व कार्यप्रणाली संसदीय प्रणाली पर आधारित थी जिसे स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया । वस्तुतः व्यवहारिक नजरिये से यही उचित था ।
2. संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है ।
3. संसदीय व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष पर अनेक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भाँति शक्तियों के टकराव की संभावना नहीं होती है ।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाना श्रेष्ठ समझा ।

भारत में संसदीय प्रणाली :–

भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अपनायी गयी है हालाँकि संविधान में इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 52, 53(1), 74(1), 75(2), 75(3) के संयुक्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनायी गई है । उच्चतम न्यायालय ने संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है ।

भारत में संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा :–

संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सफल रही है जबकि भारत में यह अधिक सफल नहीं रही है । डी.डी. बसु, बी.एन. शुक्ला जैसे राजनैतिज्ञों का मानना है कि भारत में संसदीय प्रणाली असफल रही है । संसदीय प्रणाली के असफलता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे है–

1. भारत में राजनीति की नैतिकता में गिरावट ।
2. राजनैतिक दलों में अनुशासनहीनता में वृद्धि ।
3. राजनीति में तेजी से बढता हुआ भ्रष्टाचार जैसे – कि आपरेशन दुर्योधन के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि संसद सदस्य, सदन में प्रश्न पूछने के लिये भी लोगों से रिश्वत लेने लगे है ।
4. राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश जिसने अपराधीकरण की राजनीति का रूप धारण कर लिया है भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव एन. बोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के मध्य गठजोड का उल्लेख किया है ।
5. राजनैतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव ।
6. राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में अनुत्तरदायित्व एवं असंवेदनशीलता में वृद्धि ।
7. दल – बदल सम्बंधी दोष जिसने राजनीति में अनेक दोषों को जन्म दिया है ।

8. जनता के मध्य पर्याप्त जागरूकता का अभाव ।
9. जनता की राजनीति एवं सरकार में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी का अभाव ।

1960 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय राजनीति में उपयुक्त पतन के लक्षण दिखाई देने लगे जिसने संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की । परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञों के एक वर्ग के द्वारा यह माँग की जाने लगी कि संसदीय प्रणाली के असफल होने के बाद भारत में अब इसके स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये । इस मुद्दे पर अनेक राष्ट्रीय बहस आयोजित भी की गई तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि भारत में संसदीय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं किन्तु अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसका विकल्प नहीं बन सकती है । साथ ही संसदीय प्रणाली में उत्पन्न दोष ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जिनका निराकरण न किया जा सके । इन दोषों को दूर कर संसदीय प्रणाली को सफल बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।

एस.सी. ने भी भारत में संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है ।

<u>सुझाव/उपाय :-</u>

1. राजनेताओं के लिये कठोर आचार संहिता (Code of Conduct) एवं नैतिक संहिता (Code of Ethics) विकसित किया जाना चाहिये ।
   इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिये और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन की दशा में दण्ड देने हेतु एक निष्पक्ष तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ।
2. राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाना चाहिये । जिन दलों में स्वयं आन्तरिक लोकतंत्र न हो, उन पर चुनाव लडने/निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये ।
3. राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में जवाबदेही एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिये ।
4. राजनैतिक दलों के आय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में पारदर्शिता को बनाया जाना चाहिये ।
5. राजनैतिक दलों द्वारा इस प्रकार की अनेक घोषणायें स्वतः सार्वजनिक की जानी चाहिये तथा राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।
6. राजनैतिक भ्रष्टाचार पर कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाना चाहिये ।
7. राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोका जाना चाहिये । इसके लिये कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिये ।
8. दल बदल सम्बंधित प्रावधान दोषों को दूर किया जाना चाहिये जिससे इसका दुरूपयोग रोका जा सके । जैसे - दल बदल के संदर्भ में अयोग्यता सम्बन्धित कोई निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया जाना चाहिये । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी ।
9. जनता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिये । इसके लिये सिविल समाज के संगठनों आदि की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिये।
10. राजनीति एवं सरकार में लोगों की सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी के लिये उन्हें शिक्षा, प्रेरणा आदि दी जानी चाहिये ।

प्रश्न **1.** भारत में संसदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पडा है । वस्तुतः इन चुनौतियों ने इसे असफलता के द्वार पर ला खडा किया है । इस वाक्य के आधार पर भारत में संसदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का परिक्षण करें ।

प्रश्न **2.** संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुये वे क्या कारण थे जिनके आधार पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक प्रणाली को भारत में अपनाने के लिए श्रेष्ठ बताया । स्पष्ट करें ।

प्रश्न **3.** संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें ।

प्रश्न **4.** भारत में संसदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणों का उल्लेख करें ।

प्रश्न **5.** उन उपायों का रोड मैप तैयार करें जिसके आधार पर भारत के संसदीय प्रणाली में विद्यमान दोषों का निराकरण किया जा सकता है ।

प्रश्न **6.** ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की तुलना के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली असफल है जबकि उन देशों में अपेक्षाकृत सफल है । टिप्पणी करें ।

लोक प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासन के लिए एक परिचय

परिचय

सामाजिक विज्ञान के स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन की उत्पत्ति हाल ही में हुई है। परंपरागत रूप से लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का एक अंग माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में राज्य के अधीन राज्य का स्वरूप बदल गया और यह पुलिस बासी से समाज सेवा राज्य बन गया। परिणामस्वरूप, लोक प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के बावजूद, जीवन का प्रमुख कारक बन गया है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से 'नौकरशाही' है और अधिकारियों के शासन की विशेषता है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र को 'कार्यकारी लोकतंत्र' या 'नौकरशाही लोकतंत्र' के रूप में वर्णित किया गया है। प्रशासनिक शाखा, जिसे सिविल सेवा या नौकरशाही के रूप में वर्णित किया गया है, राज्य की सरकारी मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

लोक प्रशासन का अर्थ

Administer एक अंग्रेजी शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द 'ad' और 'ministrare' से हुई है। इसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंध करना। प्रशासन का अर्थ है मामलों का प्रबंधन, सार्वजनिक या निजी।

लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएँ इस प्रकार हैं–
प्रो. वुडरो विल्सन, के सामाजिक विज्ञान के प्रणेता लोक प्रशासन 1887 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में कहता है, "लोक प्रशासन कानून का एक विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग है।"

एल. डी. व्हाइट के अनुसार "लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति की पूर्ति करना है।" उपरोक्त दोनों परिभाषाएँ पारंपरिक दृष्टिकोण से की गई हैं और केवल प्रशासन के कार्यों और कार्यों से संबंधित हैं।

लोक को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित विचारकों ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है:

प्रशासन

साइमन के अनुसार – "लोक प्रशासन से तात्पर्य राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों से है।"

विलो के अनुसार – "लोक प्रशासन व्यापक अर्थों में सरकारी मामलों के वास्तविक संचालन में शामिल कार्य को दर्शाता है, और संकीर्ण अर्थों में संचालन को दर्शाता है
केवल प्रशासनिक शाखा। "

गुलिक के अनुसार

"लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इस प्रकार, मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा से संबंधित है जहां सरकार का काम किया जाता है।"

वाल्डो के अनुसार

"लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है जैसा कि राज्य के मामलों पर लागू होता है।"

मार्शल ई. डिमॉक

"प्रशासन का संबंध सरकार के 'क्या' और 'कैसे' से है। विषय क्या है, क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासक को अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। 'कैसे' प्रबंधन की वह तकनीक है जिसके अनुसार सहकारी कार्यक्रमों को सफलता की ओर ले जाया जाता है।"

निष्कर्ष

लोक प्रशासन की उपरोक्त सभी आधुनिक परिभाषाएँ प्रशासन के विज्ञान और कला के रूप में लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के मूल्य आधारित चरित्र पर जोर देती हैं। परिभाषाओं की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि लोक प्रशासन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं या विशेषताएं हैं।

लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं :–

1. यह सरकार की कार्यकारी शाखा का हिस्सा है।
2. यह राज्य की गतिविधियों से संबंधित है।
3. यह सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करता है।
4. यह लोगों की आकांक्षाओं को साकार करता है जैसा कि तैयार और व्यक्त किया गया है: कानून।
5. वाल्डो और अन्य विचारक के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण पर जोर देते हैं लोगों की भलाई। अन्यथा लोक प्रशासन व्यवहार करता है यांत्रिक, अवैयक्तिक और अमानवीय तरीके से।
6. लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से तटस्थ है।

सार्वजनिक प्रशासन का दायरा

परिचय

एल.डी. के विचार एक ओर गोरे और परंपरावादी और एक ओर गुलिक और दूसरी ओर वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल प्रकृति के संबंध में भिन्न है और लोक प्रशासन का दायरा। अतरू हमें सत्य को समझना चाहिए लोक प्रशासन के दायरे के बारे में दृष्टिकोण।

दायरा

जनता के कार्यक्षेत्र के बारे में तीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं: प्रशासन।

1. संकीर्ण परिप्रेक्ष्य या पॉसकार्ड परिप्रेक्ष्य।
2. व्यापक परिप्रेक्ष्य या विषयवस्तु दृश्य।
3. प्रचलित दृश्य।

संकीर्ण परिप्रेक्ष्य या पॉसकार्ड परिप्रेक्ष्य – लूथर गुलिक मुख्य हैं इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक। उनके अनुसार लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र संकीर्ण या सीमित है। इसे पॉसकार्ड व्यू भी माना जाता है। यह जोर देते हैं कि जनता प्रशासन का संबंध केवल प्रशासन के उन पहलुओं से है जो कार्यकारी शाखा और उसके सात प्रकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। ये सात प्रकार के कार्य जो जनता के दायरे को दर्शाते हैं

प्रशासन इस प्रकार है–

1. 'P' योजना के लिए खड़ा है
2. 'O' का अर्थ संगठन है
3. 'S' स्टाफिंग के लिए है।
4. 'D' निर्देशन के लिए है।
5. 'Co.' का अर्थ समन्वय है।
6. 'R' रिपोर्टिंग के लिए खड़ा है
7. 'B' बजटिंग के लिए खड़ा है

1. 'P' योजना के लिए खड़ा है –
   नियोजन लोक प्रशासन का प्रथम चरण है। यानी व्यापक रूपरेखा तैयार करना उन चीजों के बारे में जिन्हें करने की आवश्यकता है।
2. 'O' का अर्थ संगठन है –
   इसका अर्थ है प्राधिकरण की औपचारिक संरचना की स्थापना जिसके माध्यम से परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य उप–विभाजित, व्यवस्थित और समन्वित है।
3. 'S' स्टाफिंग के लिए खड़ा है –
   इसका अर्थ है कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण और अनुकूल का रखरखाव कर्मचारियों के लिए काम की शर्तें।
4. 'D' का मतलब निर्देशन है –
   इसका अर्थ है निर्णय लेने और उन्हें विशिष्ट रूप से शामिल करने का निरंतर कार्य और सामान्य आदेश और निर्देश, और इस प्रकार उद्यम का मार्गदर्शन करते हैं।

5. 'Co' का अर्थ समन्वय है – इसका अर्थ है संगठन के विभिन्न भागों जैसे शाखाओं, प्रभागों, काम के खंड और अतिव्यापी का उन्मूलन।
6. 'R' का मतलब रिपोर्टिंग है –
   इसका अर्थ उस प्राधिकारी को सूचित करना है जिसके प्रति कार्यपालिका जिम्मेदार है कि क्या चल रहा है।
7. 'B' बजटिंग के लिए है – इसका अर्थ है लेखांकन, राजकोषीय योजना और नियंत्रण।

मूल्यांकन

POSDCORB लोक प्रशासन के दायरे के बारे में परिप्रेक्ष्य सीमित है और संकीर्ण। इसने लोक प्रशासन के साधनों पर बल दिया। यह नहीं दिखाता है प्रशासन का सार। यह एक तकनीक उन्मुख परिप्रेक्ष्य है, विषय नहीं

उन्मुखी

व्यापक परिप्रेक्ष्य या विषय–उन्मुख परिप्रेक्ष्य :– प्रो. वुडरो विल्सन, एल डी जबकि इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक हैं। उन्होंने बहुत व्यापक लिया है लोक प्रशासन के दायरे के बारे में दृष्टिकोण। उनके अनुसार

(A) लोक प्रशासन में की सभी तीन शाखाएं शामिल हैं सरकार। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक और उनके अंतर्संबंध। विधायी अंग कानून बनाता है, सरकार का कार्यकारी अंग लागू करता है कानून और सरकार का न्यायिक अंग कानूनों की व्याख्या करता है। वहाँ है इन तीन अंगों के बीच संबंध।

(B) लोक प्रशासन का दायरा एक सहकारी समूह की तरह होता है। इसमें सभी शामिल हैं कक्षा एक अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक।

(C) लोक प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है। इसमें एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय से लेकर जमीनी स्तर तक सभी स्तरों पर सार्वजनिक नीति के निर्माण में भूमिका। यह है प्रदान करने में कई निजी समूहों और व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है समुदाय के लिए सेवाएं। यह हाल के वर्षों में मानव द्वारा प्रभावित किया गया है संबंध दृष्टिकोण।

प्रचलित दृश्य

प्रचलित दृष्टिकोण लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र को दो भागों में बाँटता है।–

1. प्रशासनिक सिद्धांत
2. एप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन

प्रशासनिक सिद्धांत

इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं।

(A) संगठनात्मक सिद्धांत

सभी प्रकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों की संरचना, संगठन, कार्य और तरीके प्रशासन में लगे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय और कार्यकारी।

(B) व्यवहार

प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य और उपयुक्त विभिन्न तरीके विभिन्न प्रकार के कार्य। प्रशासन के नियंत्रण के विभिन्न रूप।

(C) सार्वजनिक निजी प्रशासन

कर्मियों से संबंधित समस्याएं उदा। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि और योजना, अनुसंधान, सूचना और से संबंधित समस्याओं जनसंपर्क सेवाएं।

अनुप्रयुक्त प्रशासन

इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:–

(A) राजनीतिक कार्य

इसमें कार्यकारी – विधायी संबंध, प्रशासनिक गतिविधियाँ शामिल हैं कैबिनेट, मंत्री और स्थायी आधिकारिक संबंध।

(B) विधायी कार्य

इसमें प्रत्यायोजित कानून और अधिकारियों द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्य शामिल हैं बिल तैयार करने के संबंध में।

(C) वित्तीय कार्य –

इसमें बजट तैयार करने से लेकर बजट तैयार करने तक का संपूर्ण वित्तीय प्रशासन शामिल है निष्पादन, लेखा और लेखा परीक्षा आदि।

(D) रक्षा – सैन्य प्रशासन से संबंधित कार्य।

(E) शैक्षिक कार्य – इसमें शैक्षिक से संबंधित कार्य शामिल हैं प्रशासन।

(F) समाज कल्याण प्रशासन

इसमें भोजन से संबंधित विभागों की गतिविधियाँ शामिल हैं; आवास, सामाजिक सुरक्षा और विकास गतिविधियों।

(G) आर्थिक प्रशासन

यह उद्योगों के उत्पादन और प्रोत्साहन से संबंधित है और कृषि।

(H) विदेशी प्रशासन

इसमें विदेशी मामलों का संचालन, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि शामिल हैं।

(I) स्थानीय प्रशासन

यह स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की गतिविधियों से संबंधित है।

लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व

आज के आधुनिक राज्य में और विकासशील देशों में जनता के कार्य और भूमिका प्रशासन बहुत जरूरी है। लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व इस प्रकार हैं।

1. यह सरकार का आधार है।
2. यह समाज में परिवर्तन का साधन है।
3. यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4. यह राज्य के कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का एक साधन है।
5. यह समाज में एक स्थिर शक्ति है क्योंकि यह निरंतरता प्रदान करती है।
6. यह विकासशील देशों में राष्ट्रीय एकता का साधन है जो वर्गवारों का सामना करना पड़ रहा है।

1. यह सरकार का आधार है –

   एक राज्य के लिए विधायिका या न्यायपालिका के बिना अस्तित्व में रहना संभव है; लेकिन यहां तक कि नहीं सबसे पिछड़ा राज्य प्रशासनिक मशीनरी के बिना कर सकता है। आधुनिक राज्य अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं कर सकता, न्याय की व्यवस्था राजस्व और करों का संग्रह और इसमें भागीदारी कल्याणकारी गतिविधियाँ आधुनिक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह और अधिक प्रदान करे लोगों को अधिक सेवाएं और सुविधाएं। लोक प्रशासन मशीनरी है राज्य द्वारा खुद को योजना और कार्यक्रम बनाने की स्थिति में रखने के लिए उपयोग किया जाता है कि हो सकता है।
2. यह समाज में परिवर्तन का साधन है –

   लोक प्रशासन को परिवर्तन का एक साधन माना जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है: विकास की प्रक्रिया में तेजी लाएं। हमारे देश में सरकार ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने, फैलाने का कार्य किया अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले सभी लोगों के बीच शिक्षा, स्थिति की समानता, अधिकारों को हासिल करना महिलाओं और प्रभावी और सर्वांगीण आर्थिक और औद्योगिक विकास। NS इन सामाजिक परिवर्तनों को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करने का भार होता है देश के लोक प्रशासन पर। भारतीय लोकतंत्र की सफलता यह न केवल विधायिका की बुद्धिमत्ता पर बल्कि क्षमता पर अधिक निर्भर करेगा और प्रशासन की ओर से उद्देश्य की भावना।
3. यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है –

   आज मानव जीवन का प्रत्येक पहलू लोक प्रशासन के दायरे में आता है। सरकार के विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा, समाज कल्याण, भोजन, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, संचार आदि किसके द्वारा चलाए जाते हैं? लोक प्रशासन विभाग। इस प्रकार लोक प्रशासन प्रतिपादन कर रहा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं।
4. यह समाज में एक स्थिर शक्ति है क्योंकि यह निरंतरता प्रदान करता है लोक प्रशासन उन सिविल सेवकों द्वारा चलाया जाता है जो स्थायी होते हैं अधिकारी। राजनीतिक अधिकारी यानी मंत्री आ सकते हैं और जा सकते हैं, सिस्टम सरकार या संविधान परिवर्तन के अधीन हो सकता है लेकिन प्रशासन चलता रहता है सदैव। इसलिए, लोक प्रशासन समाज में एक महान स्थिर शक्ति है। यह है एक समाज और उसकी संस्कृति के रक्षक।
5. यह विकासशील देशों में राष्ट्रीय एकता का साधन है जो वर्ग युद्ध का सामना कर रहे हैं –

लोक प्रशासन का बदलता स्वरूप

परिचय

लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में मानव सभ्यता जितनी पुरानी है। लेकिन एक सामाजिक के रूप में लोक प्रशासन पर विज्ञान सिद्धांत बहुत हालिया है। 1887 में, वुडरो विल्सन ने "द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन" पर पुस्तक लिखी है, और रखी है लोक प्रशासन के विज्ञान की नींव। उसके बाद यह हो गया था इसके दायरे, प्रकृति और भूमिका में तेजी से परिवर्तन। अवस्थी और माहेश्वरी ने लोक प्रशासन के विकास को निम्नलिखित पाँच चरणों में विभाजित किया।

बदलते स्वभाव

इसे पांच चरणों में बांटा गया है।

प्रथम चरण – 1887–1926 :–

लोक प्रशासन के बदलते स्वरूप के बारे में, इस चरण में निम्नलिखित बदलाव आया –

(a) लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करना

(b) लोक प्रशासन सरकार का दृश्य पक्ष है।

(c) प्रो. वुडरो विल्सन ने की परिभाषा, प्रकृति, भूमिका और महत्व दिया है सार्वजनिक प्रशासन।

(d) एल डी व्हाइट ने इस विषय पर पहली पाठ्यपुस्तक लिखी है अर्थात। 'लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय।'

प्रो. वुडरो विल्सन को 'लोक प्रशासन का जनक' कहा जाता है क्योंकि विषय की उत्पत्ति का पता विल्सन की पुस्तक "द स्टडी ऑफ पब्लिक" से लगाया जा सकता है प्रशासन" 1887 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने के बीच एक विकर्षण किया राजनीति – विज्ञान और लोक प्रशासन। इससे पहले, इसे एक के रूप में माना जाता था राजनीति विज्ञान की शाखा। दूसरे, जनता की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए प्रशासन, उन्होंने कहा कि प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट हिस्सा है। यह कार्रवाई में सरकार है और सरकार का सबसे दृश्यमान पक्ष है। इसलिए, वह परिभाषित "लोक प्रशासन कानून के विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में। यह उन सभी कार्यों से मिलकर बनता है जिनके उद्देश्य के लिए प्रवर्तन होता है प्राधिकरण द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति।" उन्होंने प्रशासन के विज्ञान के लिए तर्क दिया "जो सरकार के रास्तों को सीधा करने की कोशिश करेगा।" इस प्रकार, विल्सन ने द्विभाजन दृष्टिकोण का अनुमान लगाया, जिसे अन्य लेखकों ने उठाया। 1900 में, फ्रैंक जे। गुडनो ने अपनी पुस्तक "पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन" प्रकाशित की। उसके में पुस्तक उन्होंने विल्सनियन थीम विकसित की। उन्होंने तर्क दिया कि "राजनीति और प्रशासन सरकार के दो अलग–अलग कार्य थे।" उसके अनुसार राजनीति नीतियां बनाती है और प्रशासन इन नीतियों पर अमल करता है। इस प्रकार, गुडनो ने राजनीति और प्रशासन के बीच एक तकनीकी अंतर किया। 1926 में, एल.डी. ने इस विषय पर पहली पाठ्य–पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दर्शाती है राजनीति और प्रशासन के बीच द्विभाजन का विषय। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति और प्रशासन को अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा नीतिगत मामलों में और राजनीति के साथ नीति के माध्यम से प्रशासन की भागीदारी।

चरण II – 1927–1937

लोक प्रशासन के बदलते स्वरूप में इस काल को कहा जा सकता है प्रशासन के सिद्धांत और जनता के अनुशासन की सीपना एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रशासन। 1927 में, डब्ल्यू.एफ. विलो ने "लोक प्रशासन के सिद्धांत" नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का शीर्षक सोच में नए जोर को इंगित करता है और स्थापित करता है एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विषय। इस अवधि में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रकाशन हुआ। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण हैं –

1. मैरी पार्कर फोलेफ्ट का "रचनात्मक अनुभव"
2. हेनरी फेयोल का "औद्योगिक और सामान्य प्रबंधन।"
3. मूनी के "संगठन के सिद्धांत"।
4. लूथर गुलिक "प्रशासन का विज्ञान।"

गुलिक ने प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या की। ये हैं सात सिद्धांत पोस्डकॉर्ब के नाम से जाना जाता है।

निष्कर्ष – इस प्रकार इस काल में प्राप्त विषय –

(1) सामाजिक विज्ञान के पृथक विषय की स्थिति
(2) दूसरा। इसे प्रशासन का विज्ञान माना जाता था।
(3) विकसित

प्रशासन के सिद्धांत और सिद्धांत। इन सिद्धांतों और सिद्धांतों में थे सरकार और व्यापार दोनों में बड़ी मांग।

चरण III – 1938–1947

इस अवधि ने जनता की प्रकृति में नए बदलाव लाए
प्रशासन

1. कुछ विचारकों ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन का खंडन किया।
2. उन्होंने एक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के दावे को चुनौती दी।
3. जोर दिया

प्रशासनिक व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। जबकि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में आकार ले रहा था, सी. आई. बरनार्ड, साइमन, रोबट डाहल ने लोक प्रशासन के दावे को एक के रूप में चुनौती दी प्रशासन का विज्ञान। ये विचारक द्वारा उठाए गए रुख से असहमत हैं गुलिक। साइमन ने 1947 में अपनी पुस्तक "प्रशासनिक व्यवहार" प्रकाशित की। उसमें वह कहा कि प्रशासन के सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती है; परेड के रूप में क्या हैं 'सिद्धांत' वास्तव में कहावतों से बेहतर नहीं हैं। वैज्ञानिक वैधता का है अभाव और लोक प्रशासन में सार्वभौमिक प्रासंगिकता। रॉबर्ट डाहल मानक विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जनता के मापदंडों को परिभाषित करते हुए मानव व्यवहार और सामाजिक कारक प्रशासन। उन्होंने लोक प्रशासन में व्यवहारवाद लाया। वह प्रशासनिक व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभावों पर जोर दिया। निष्कर्ष – इसलिए इस काल को जनता के लिए चुनौती का युग कहा जाता है प्रशासन।

चरण IV – 1948 से 1970

व्यवहारवादी द्वारा प्रस्तुत चुनौती के कारण, जनता का अनुशासन चौथे चरण में पहचान के संकट से गुजरा प्रशासन क्योंकि 1947 से पहले के दृष्टिकोण ने राजनीति को बरकरार रखा – प्रशासन द्विभाजन और 1947 के बाद के दृष्टिकोण ने उनके संलयन को बढ़ावा दिया। फ़िफ़नर ने कहा कि राजनीति और प्रशासन इतने परस्पर जुड़े हुए और भ्रमित हैं कि स्पष्ट भेद कठिन है। किंग्सले ने प्रशासन को राजनीति की एक शाखा के रूप में देखा। पॉल एप्पलबी ने फ्यूजन के दृष्टिकोण को बरकरार रखा, उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर प्रशासन है अधिक सामान्यीकृत, अधिक से अधिक काव्यात्मक चरित्र लेता है और इसमें कुल होता है सरकारी महत्व। निचले स्तरों पर, यह कम राजनीतिक और अधिक है विशिष्ट।

वाल्डो ने अपने प्रशासनिक राज्य में (1948) जनता के उन्मुखीकरण का विस्तार किया नीतिगत मुद्दों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए प्रशासन। दूसरी ओर, कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि वास्तविक उद्देश्य लोक प्रशासन की कार्यपालिका की "बौद्धिक समझ" थी। जारी रखने की भी बात चल रही थी 'लोक प्रशासन पर राजनीति विज्ञान का प्रभुत्व।' संक्षेप में, इस काल में राजनीति–विज्ञान का न केवल तमाशा देखने को मिला लोक प्रशासन खुद को इससे अलग करता है, लेकिन बढ़ावा भी नहीं देता है अपने क्षेत्र के भीतर अपने विकास और विकास को प्रोत्साहित करना। इसलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में, लोक प्रशासन की साख एक विज्ञान और एक विशिष्ट अनुशासन होने के नाते और राजनीति

के अलावा, – विज्ञान थे सवाल किया। इससे लोक प्रशासन का दोहरा विकास हुआ राजनीति विज्ञान के रूप में देखा जाता है और प्रशासन विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। पाँचवाँ चरण 1971 से आगे इस अवधि में लोक प्रशासन ने महान प्रगति और समृद्ध दृष्टि दर्ज की।

1. प्रशासन की गतिशीलता पर ध्यान दें।
2. इसे अंतर–अनुशासनात्मक माना जाता है।
3. नए लोक प्रशासन की बात
4. नए रुझान उभरे – लोक प्रशासन के विषय में अर्थात।
   (i) तुलनात्मक प्रशासन
   (ii) विकास प्रशासन
   (iii) बाजार अभिविन्यास – राज्य और बाजार

1. प्रशासन की गतिशीलता पर ध्यान दें

यह अपना ध्यान प्रशासन की गतिशीलता पर केंद्रित कर रहा है। यह भी चित्र बना रहा है प्रबंधन विज्ञान पर भारी।

2. इसे अंतर–अनुशासनात्मक माना जाता है

लोक प्रशासन ने के भीतर आकर्षित किया है इसके तह विभिन्न विषयों के विद्वान हैं और इस प्रकार अंतर–अनुशासनात्मक होते जा रहे हैं इसकी प्रकृति में।

नई प्रवर्तिया

तुलनात्मक लोक प्रशासन फ्रेड रिग्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। 1962 में फ्रेड रिग्स अपने लेख में "के तुलनात्मक अध्ययन में रुझान" लोक प्रशासन, "निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया: –

(a) उनके में राजनीतिक–प्रशासनिक संस्थानों का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया सामाजिक व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन आम हो गया लगभग सभी सामाजिक विज्ञानों का विषय। तुलनात्मक जनता के विद्वान प्रशासन ने निर्देशित करने के लिए प्रशासनिक विकास के प्रश्न का विश्लेषण किया क्रॉस–सांस्कृतिक संदर्भों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन।

(b) इसलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ है क्रॉस–सांस्कृतिक और क्रॉस लोक प्रशासन का राष्ट्रीय अध्ययन।

(c) तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है।

(d) फ्रेड रिग्स ने जनता के तुलनात्मक अध्ययन में तीन प्रवृत्तियों की ओर इशारा किया प्रशासन।
   (1) मानक से अनुभवजन्य अभिविन्यास तक।
   (2) विचारधारात्मक से नाममात्र की ओरिएंटेशन तक
   (3) गैर–पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिक अभिविन्यास तक

(1) प्रामाणिक से अनुभवजन्य अभिविन्यास तक –

इसका अर्थ है वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर देना, जिसके विज्ञान को विकसित करने की दृष्टि से लोक प्रशासन, मानक अध्ययन 'क्या होना चाहिए' और' पर जोर देता है अनुभवजन्य अध्ययन 'क्या है' पर जोर देता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में हम अध्ययन करते हैं 'क्या होना चाहिए' से 'क्या है' तक। आइडियोग्राफिक से नोमोथेटिक ओरिएंटेशन तक – विचारधारात्मक अभिविन्यास का अर्थ है केवल एक राष्ट्र का अध्ययन या व्यक्तिवादी अध्ययन। जैसे अद्वितीय केस या केस स्टडी, एकल देश, पर एकाग्रता